भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 379

दिनांक 21 जुलाई, 2023 को उत्तर के लिए

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

379. डॉ. सुकान्त मजूमदार:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं का उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जिलों सहित वर्ष-वार, योजना-वार, जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक योजना के लिए आबंटित, स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार, योजना-वार और जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान निर्धारित और प्राप्त किए गए वास्तविक लक्ष्यों का वर्ष-वार, योजना-वार, जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय को उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई कमियां मिली हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा उन कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उपरोक्त योजनाओं में से किसी योजना की समय और लागत में वृद्धि हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख) : बेहतर कार्यान्वयन और कुशल निगरानी के लिए पश्चिम बंगाल सहित देश में कार्यान्वित की जा रही मंत्रालय की सभी केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों को तीन शीर्षों(वर्टिकल्स) में सम्मिलित किया गया है अर्थात् : (1) देश में पोषण संकेतकों में सुधार के लिए सक्षम

आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (2) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति; और (3) बच्चों के संरक्षण और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य। इन स्कीमों का विवरण इस प्रकार है :

i. **सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 :** इस कार्यक्रम को 3 प्राथमिक शीर्षों(वर्टिकल्स) में पुनर्गठित किया गया है : (i) पोषण और किशोरियों के लिए पोषण सहायता (ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष] और (iii) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ियों सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना।

ii. **मिशन शक्ति :** मिशन शक्ति स्कीम महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और महिला सशक्तीकरण के लिए क्रमश: दो उप-स्कीमों **'सम्बल'** और **'सामर्थ्य'** से मिलकर बनी है। वन स्टॉप सेंटर(ओएससी), महिला हैल्पलाइन(181 - डब्ल्यूएचएल) और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ(बीबीबीपी) मौजूदा स्कीमों को सम्बल उप-स्कीम का हिस्सा बनाया गया है; जबकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना(पीएमएमवीवाई), उज्ज्वला, स्वाधार गृह और कामकाजी महिला आवास की मौजूदा स्कीमों को 'सामर्थ्य' में शामिल कर लिया गया है।

iii. **मिशन वात्सल्य** : मिशन मोड में देखभाल और जरूरतमंद बच्चों के लिए बेहतर आउटरीच तथा सुरक्षा हेतु निम्न उद्देश्यों के साथ बाल संरक्षण स्कीम(सीपीएस) का सुदृढ़ीकरण किया गया है : (i) संकटग्रस्त परिस्थितियों में बच्चों को सहायता और उनका पोषण (ii) विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए संदर्भ आधारित समाधान विकसित करना (iii) नवोन्वेषी समाधान प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन क्षेत्र परियोजना के लिए अवसर प्रदान करना।

मिशन शक्ति की सिर्फ तीन स्कीमों, अर्थात् वन स्टॉप सेंटर(ओएससी), महिला हैल्पलाइन(डब्ल्यूएचएल) का सार्वभौमीकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ(बीबीबीपी) को वित्तीय वर्ष 2022-23 तक सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के जिलों को निधियां सीधे जारी की जा रही थीं। हालांकि, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला हैल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) स्कीम कार्यान्वित नहीं की जा रही है। विगत चार वर्षों के दौरान ओएससी स्कीम के तहत आबंटित/जारी और प्रयुक्त निधियों का जिले-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में है। शेष स्कीमों में, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निधियां जारी की जा रही हैं। विगत चार वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्कीमों के तहत आबंटित/जारी और प्रयुक्त की गई निधियों का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग) : मंत्रालय की स्कीमों के तहत पश्चिम बंगाल में भौतिक लक्ष्यों और उपलब्धियों का विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

(घ), (ड.) और (च) : पीएमएमवीवाई स्कीम 2017-18 से पश्चिम बंगाल राज्य में कार्यान्वित की जा रही है। तथापि, यह देखा गया है कि राज्य में इस स्कीम को अलग नाम अर्थात् 'बंग्ला मैत्री प्रकल्प' के नाम से कार्यान्वित किया जा रहा था। बाद में, राज्य सरकार इस बात पर सहमत हुई और यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में इस स्कीम को कड़ाई से पीएमएमवीवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा। राज्य से लिखित आश्वासन प्राप्त होने पर, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को निधियों की केंद्रीय हिस्सेदारी की निर्मुक्ति मार्च, 2022 से दोबारा शुरू कर दी गई है।

मंत्रालय की सभी स्कीमों के तहत, राज्यों से उपयोगिता प्रमाणपत्र/व्यय विवरण प्राप्त नहीं हो रहे हैं। निधियों की उपयोगिता की सूचना देने के लिए सभी स्तरों पर राज्य के साथ नियमित अनुवर्ती बैठकें आयोजित की गई हैं।

नीति आयोग द्वारा मंत्रालय की सभी स्कीमों का मूल्यांकन किया गया था और मंत्रालय की स्कीमों को तीन मिशनों में पुनर्गठित करते समय उनके सुझावों को शामिल किया गया था।

*****

अनुलग्नक-I

विगत चार वर्षों के दौरान मंत्रालय की स्कीमों के तहत पश्चिम बंगाल को आवंटित/निर्मुक्त और प्रयुक्त निधियों का जिला-वार विवरण

I. वन स्टॉप सेंटर-

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	जिला	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
		निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त
1	अलीपुरद्वार	0	0	0	0	0	0	28.41	0
2	बांकुड़ा	0	0	0	0	28.41	0	0	0
3	बीरभूम	15.91	0	0	0	0	0	0	0
4	कूचबिहार	0	0	28.41	0	0	0	0	0
5	दक्षिण दिनाजपुर	0	0	28.41	0	0	0	0	0
6	दार्जिलिंग	15.91	0	0	0	0	0	0	0
7	हुगली	15.91	0	0	0	0	0	0	0
8	हावड़ा	15.91	0	0	0	0	0	0	0
9	जलपाईगुड़ी	0	0	28.41	0	0	0	0	0
10	झारग्राम	0	0	0	0	28.41	0	0	0
11	कलिम्पोंग	0	0	28.41	0	0	0	0	0
12	कोलकाता	0	0	0	0	0	0	0	0
13	मालदा	0	0	0	0	28.41	0	0	0
14	मुर्शिदाबाद	0	0	28.41	0	0	0	0	0
15	नादिया	0	0	0	0	28.41	0	0	0
16	उत्तर 24 परगना	0	0	0	0	28.41	0	0	0
17	पश्चिम बर्धमान (पश्चिम)	0	0	28.41	0	0	0	0	0
18	पश्चिम मेदिनापुर (पश्चिम)	15.91	0	0	0	0	0	0	0
19	पूर्व बर्धमान	0	0	0	0	28.41	0	0	0
20	पूर्ब मेदिनीपुर	0	0	28.41	0	0	0	0	0
21	पुरुलिया	0	0	0	0	28.41	0	0	0
22	दक्षिण 24 परगना	15.91	0	0	0	0	0	0	0
23	उत्तर दिनाजपुर	0	0	0	0	28.41	0	0	0

अनुलग्नक-II

विगत चार वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान मंत्रालय की स्कीमों के तहत पश्चिम बंगाल को आवंटित/निर्मुक्त और प्रयुक्त निधियों का जिला-वार विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	स्कीम	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
		निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त
1	आंगनवाड़ी सेवा स्कीम	116399.75	132046	104720.89	89789.29	66835.22	-	1,19,945.37	-	15904.82 (as on 30.06.2023)	-
2.	पोषण अभियान	184268.00	**	26840.00	**	1820855.00	**	1981087.00	**	0.00	**
2.	किशोरियों के लिए स्कीम	126.72	144.22	31.71	Not Reported	0.00	Not Reported	-	-	-	-
3.	बाल संरक्षण स्कीम	2815.10	4285.62	4375.63	4704.87	3970.45	4213.11	2663.81	4666.45	-	-
4.	पीएमएमवीवाई	8769.00	20588.00	-	56.00	16259.00	3909.00	6323.00	37635.00*	-	-
5.	स्वाधार गृह	0.00	0.00	155.67	0.00	282.81	0.00	0.00	0.00	-	-

*वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रयुक्त निधियों के लिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना स्कीम-कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई-सीएएस) के माध्यम से तैयार रिपोर्ट के अनुसार, मातृत्व लाभों के भुगतान के लिए वितरित निधियों पर विचार किया गया है।

**उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ

अनुलग्नक-III

मंत्रालय की स्कीमों के तहत पश्चिम बंगाल के भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियाँ

क. मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

1. आंगनवाड़ी सेवा स्कीम (मई 2023 तक)

जिले का नाम	क्रियाशील आंगनवाड़ी केंद्र	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की संख्या	आंगनवाड़ी सहायिकाओं की संख्या	कुल 6 माह- 3 वर्ष	कुल 3 वर्ष - 6 वर्ष	कुल गर्भवती महिलाएं	स्तनपान कराने वाली कुल माताएं	पेयजल सुविधाएं	शौचालय
24 परगना उत्तर	10428	9921	8310	269058	329259	45463	30813	1186	1213
अलीपुरद्वार	3198	3077	2732	50406	66682	8470	6110	56	126
बांकुड़ा	5739	5278	3853	125995	141071	26574	14781	426	424
बीरभूम	5188	4774	3717	156602	175038	31749	17028	579	703
कूचबिहार	5548	4581	2880	121140	149479	19872	15106	207	328
दार्जिलिंग	3252	2680	2866	39471	48599	6226	5263	492	679
दिनाजपुर दक्षिण	4157	3558	3468	66539	73600	12709	9390	181	199
हुगली	6708	5920	5704	153345	182919	27097	17095	517	456
हावड़ा	4509	4211	3540	139920	173939	23789	16419	734	700
जलपाईगुड़ी	3940	3455	2782	80442	97822	14818	11268	407	509
झारग्राम	2478	2292	1885	42059	49375	8307	5217	225	272
कलिम्पोंग	639	520	544	4850	6181	643	604	233	353
कोलकाता	1529	1160	1095	27714	40001	2395	2171	151	110
मालदा	6399	5606	4925	253742	282391	42677	29777	553	463
मेदिनीपुर पश्चिम	6643	6294	6236	171811	197050	33018	21636	838	1027
मुर्शिदाबाद	9033	7868	5855	433113	490155	80791	48303	295	366
नादिया	6934	6428	6034	189505	219267	34842	22434	1224	1106
पश्चिम बर्धमान	2845	2330	2291	63611	73615	10640	7559	641	727
पूर्ब बर्धमान	6857	6323	5178	161736	192878	29590	15549	795	899
पुरुलिया	4945	4378	4209	128681	144532	25066	17323	321	302

पूर्ब मेदिनीपुर	6343	5168	4698	191279	217697	35935	23763	644	793
दक्षिण 24 परगना	11366	10647	7164	361510	443297	66269	44551	1528	1988
उत्तर दिनाजपुर	3787	3634	2776	189011	225489	31487	22424	125	171

2. पोषण अभियान

पोषण माह एवं पखवाड़ा के दौरान आयोजित गतिविधियों की संख्या का तुलनात्मक विवरण

2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2018 से कुल
पखवाड़ा 2019 (मार्च)	माह 2018 (सितंबर)	पखवाड़ा 2020 (मार्च)	माह 2019 (सितंबर)	पखवाड़ा 2021 (मार्च)	माह 2020 (सितंबर)	पखवाड़ा 2022 (मार्च-अप्रैल)	माह 2021 (सितंबर)	पखवाड़ा 2023 (मार्च-अप्रैल)	माह 2022 (सितंबर)	
13	54	372	18	0	1,013	1	103	61,098	2	**62,674**

वृद्धि की निगरानी उपकरणों की उपलब्धता स्थिति

2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
0	0	0	0	0

स्मार्टफोन की अधिप्राप्ति की स्थिति

2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (मार्च 2023)
0	0	0	0	0

ख. <u>मिशन वात्सल्य :</u>

भौतिक प्रगति :

क्र.सं.	घटक/ मद	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	बाल कल्याण समितियाँ (सीडब्ल्यूसी)	25	25	25	25	25
2	न्याय किशोर बोर्ड (जेजेबी)	23	23	23	23	23
3	जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू)	23	23	23	23	23

4	बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई)	154	142	132	137	164
5	कवर किए गए लाभार्थी	7222	5708	5257	6494	6220

ग. **<u>मिशन शक्ति</u>**

(1). सम्बल :

(क). **वन स्टॉप सेंटर**

ओएससी स्कीम की शुरुआत से 31.03.2023 तक पंजीकृत/लाभान्वित मामलों की स्थिति - 328

(2.) सामर्थ्य:

1. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) (**01.01.2017** से **31.03.2023 तक की प्रगति)**

नामांकित लाभार्थियों की संख्या	भुगतान किए गए लाभार्थियों की संख्या
1860899	1565926

2. शक्ति सदन (स्वाधार गृह)

2014 -2023 तक लाभार्थियों की संख्या								
2014-15	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
354	663	1440	1440	1440	1440	64	802	794

3. शक्ति सदन (उज्ज्वला होम्स)

2014 -2023 तक लाभार्थियों की संख्या								
2014-15	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
100	100	100	0	0	0	0	0	22

****